

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद - 211 013



इलाहाबाद

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की
कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	48
दिनांक	:	14-10-2017
समय	:	अपराह्न 2:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 14-10-2017 को अपराह्न 2:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 48वीं

बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | प्रो. एम.पी. दुबे,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | प्रो. सुधौंशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | डॉ. इति तिवारी,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | डॉ. श्रुति,
असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | डॉ. मुकेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12. | श्री एस.पी. सिंह
वित्त अधिकारी,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | विशेष आमंत्रित |
| 13. | प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य—सचिव |

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (3) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चैयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (4) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (6) डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 48.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-08-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 24-08-2017 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या 16-2-6 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 24-08-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 48.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-08-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक में दिनांक 24-08-2017 लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
47.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 04-07-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
47.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 04-07-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
47.03	सत्र 2017-18 से प्रारम्भ होने वाले 27 नवीन कार्यक्रमों को अध्ययन केन्द्रों को आवंटित करने हेतु दिशा-निर्देश/शर्तों के निर्माण हेतु दिनांक 24-07-2017 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने सत्र 2017-18 से प्रारम्भ होने वाले 27 नवीन कार्यक्रमों को अध्ययन केन्द्रों को आवंटित करने हेतु दिशा-निर्देश/शर्तों के निर्माण हेतु दिनांक 24-07-2017 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
47.04	दिनांक 19-08-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 19-08-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
47.05	दिनांक 05-08-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 05-08-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

47.06	दिनांक 18-08-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 18-08-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
47.07	दिनांक 22-08-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 22-08-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
47.08	पं० दीन दयाल उपाध्याय शोध केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार।	विद्या परिषद् ने पं० दीन दयाल उपाध्याय शोध केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार तैयार प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./941 /2017 दिनांक 19-09-2017 द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-04, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
47.09	विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
47.10	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली 23 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है, पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 23 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के भाग-IV के बिन्दु 15 (6) में दी गयी व्यवस्था को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-10-2017 को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक 11-10-2017 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त पर विचार

1. स्नातक के शिक्षार्थियों द्वारा चयनित प्रतिबन्धित विषय संस्कृत एवं समाजशास्त्र के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार

जुलाई 2015 से पूर्व विश्वविद्यालय के नियमानुसार संस्कृत (UGST) एवं समाजशास्त्र (UGSY) विषय का एक साथ स्नातक कार्यक्रम में चयन प्रतिबन्धित था किन्तु कतिपय छात्रों ने त्रुटिवश उक्त विषयों को एक साथ लेकर स्नातक कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, ऐसे शिक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित किए जाने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रतिबन्धित विषय संस्कृत एवं समाजशास्त्र के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. एकल विषय में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि/प्रमाणपत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार

एकल विषय उत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में अभी तक के निर्णय के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षार्थी से ग्रेजुएशन की अंकतालिका प्राप्त करते हुए उन्हें एकल विषय का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाय। इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अर्हता स्नातक उत्तीर्ण है। पूर्व निर्णय के अनुसार छात्र ने जिस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया है उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही एकल विषय में प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की गई थी। परन्तु लगभग ऐसे 35,000 शिक्षार्थियों से साक्ष्य प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है तथा ये अव्यवहारिक भी है जिसके कारण इसका निष्पादन सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उचित होगा की सभी एकल विषय उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाय। यदि किसी छात्र द्वारा बिना स्नातक किए इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया गया होगा तो इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आने पर उसकी अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी स्नातक अंक-तालिका व पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होता है तो उसे एकल विषय का प्रमाण-पत्र दे दिया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों की विश्वविद्यालय (परीक्षा अनुभाग) को प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं पर विचार

जून 2017 परीक्षा के सापेक्ष कतिपय शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से परीक्षा अनुभाग को प्राप्त हैं किन्तु उनके परीक्षा में सम्मिलित न होने की लिखित सूचना परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष/समन्वयक (S-833) बाबा बनवारी लाल बाल गोपाल महाविद्यालय मलौरा, गाजीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जब कि अन्य परीक्षा केन्द्र (S-806) गुरु फूलचन्द पी0जी0 कालेज, दौलतपुर गाजीपुर, से लिखित रूप से एवं मौखिक रूप से सूचना दिए जाने के पश्चात भी उपस्थिति पत्रक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों परीक्षा केन्द्रों में से जिसके द्वारा P-07 उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार उपस्थिति शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर विचार एवं दूसरे परीक्षा केन्द्र के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तब तक घोषित न किए जाय जब तक उनके द्वारा P-7 उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत। (संलग्नक-03 पृष्ठ संख्या 28-32.)

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक परीक्षार्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उक्त केन्द्रों के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित न किया जाए तथा परीक्षा केन्द्र (S-806) गुरु फूलचन्द पी0जी0 कालेज, दौलतपुर गाजीपुर, को उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने हेतु चेतावनी पत्र प्रेषित किया जाए कि शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित न होने का पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षा केन्द्र का होगा तथा आगामी परीक्षाओं हेतु इन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. रु 100/- जमा करने के पश्चात विगत वर्ष के छूटे हुए अधिन्यास उत्तर पुस्तिका को जमा कर मूल्यांकन कराने पर विचार।

विगत एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर यदि शिक्षार्थी के अधिन्यास अंक शिक्षार्थी की अंकतालिका पर अंकित नहीं हैं एवं विश्वविद्यालय के अभिलेखों में उनके अंक संरक्षित नहीं हैं तब ऐसी स्थिति में शिक्षार्थी से रु 100 प्रति अधिन्यास उत्तर पुस्तिका की दर से शुल्क एवं हस्तलिखित अधिन्यास उत्तर पुस्तिका जमा कराने के पश्चात मूल्यांकन कराकर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. छूटे हुए प्रश्नपत्र के अंक को अंक-पत्र में अंकित कराने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने से एक वर्ष का समय निर्धारित करने पर विचार

सत्र 2017-18 से पूर्व के शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने पर यदि शिक्षार्थी के अंकपत्र में सत्रांत परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र का अंक अंकित नहीं है तो शिक्षार्थी द्वारा दिए गये आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में उसे आगामी परीक्षा में बैंक शिक्षार्थी के रूप में बैंक शुल्क जमा करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने की दशा में ही पूर्ण अंक तालिका निर्गत की जाएगी।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. छूटे हुए प्रश्नपत्र के अंक को अंकित कराने हेतु सत्र 2017 एवं 2018 से परीक्षा में सम्मिलित होने से 90 दिन का समय निर्धारित करने पर विचार

सत्र 2017-18 से नामांकित शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से किसी भी शिक्षार्थी के अंकपत्र में प्रश्न-पत्र को अंकित कराने हेतु 90 दिन का समय निर्धारित करने पर विचार। 90 दिन का समय व्यतित हो जाने के पश्चात शिक्षार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा एवं शिक्षार्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आगामी परीक्षा में बैंक शिक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होकर कार्यक्रम पूर्ण करना होगा।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रति कॉपी रू 2/- न्यूनतम रू 3,000 एवं अधिकतम रू 25,000/- पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिन कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को अधिकृत किया जाता है उन्हें कार्यालय अवधि से पूर्व/पश्चात तो कार्य करना ही पड़ता है, मूल्यांकन कार्य की प्रकृति तथा समय-बद्धता के कारण उन्हें अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होता है साथ ही वे अपने पूर्व में निर्धारित/आवंटित कार्यों को भी सम्पन्न करते रहते हैं। ऐसे में उचित होगा कि इन कर्मचारियों को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/- प्रति कॉपी, न्यूनतम

रु0 3,000 एवं अधिकतम रु0 25,000/- अलग से निर्धारित कर दिया जाए। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

कॉपी संख्या	पारिश्रमिक
60,000 से अधिक	रु0 25,000/-
20,000 से 59,999 तक	रु0 5,000/-
20,000 से कम	रु0 3,000/-

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कमेटी का गठन किया जाए जिसमें कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा निदेशक हों तथा प्रकरण कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए एवं कार्यवृत्त आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

12. परीक्षा गोपनीय में प्रश्नपत्र पैकिंग के समय कार्यालय अवधी के पूर्व एवं पश्चात तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य हेतु पारिश्रमिक निर्धारण करने पर विचार।

	पूर्व निर्धारित दर	अनुमोदन हेतु प्रस्तावित नई दर
तृतीय वर्ग कर्मचारी	रु0 35/- (मार्ग व्यय हेतु)	रु0 50/-
चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	रु0 25/- (मार्ग व्यय हेतु)	रु0 35/-

पूर्व में निर्धारित दर कदाचित 2002-2003 की है तब से हुई मंहगाई के दृष्टिगत नई दर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कमेटी का गठन किया जाए जिसमें कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा निदेशक हों तथा प्रकरण कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए एवं कार्यवृत्त आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

13. परीक्षा गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं कर्मचारियों के रात्रि ठहराव हेतु उचित दर निर्धारित करने पर विचार

	पूर्व निर्धारित दर	अनुमोदन हेतु प्रस्तावित नई दर
प्राध्यापक/परामर्शदाता एवं अन्य	रु0 300	रु0 400
तृतीय वर्ग कर्मचारी	रु0 250	रु0 350
चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	रु0 200	रु0 300

पूर्व में निर्धारित दर लगभग 05 वर्षों से भी पुराना है अतः वर्तमान में महंगाई के दृष्टिगत उक्त कार्य हेतु नई दर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कमेटी का गठन किया जाए जिसमें कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा निदेशक हों तथा प्रकरण कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए एवं कार्यवृत्त आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

14. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक रू0 400/—, निर्धारित तिथि के बाद व परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक रू0 500/—, परीक्षा प्रारम्भ होने पर रू0 1,000/— एवं सम्बन्धित विषय की परीक्षा से पूर्व व परीक्षा समाप्ति तक। रू0 1200 प्रति प्रश्न पत्र बैक परीक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार

अवधि	बैक प्रश्नपत्र शुल्क
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक	रू0 400/—
निर्धारित तिथि के बाद व परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक	रू0 500/—
परीक्षा प्रारम्भ होने पर	रू0 1,000/—
सम्बन्धित विषय की परीक्षा से पूर्व व परीक्षा समाप्ति तक।	रू0 1,200/—

परीक्षा समिति द्वारा बैक प्रश्न-पत्र हेतु निर्धारित उक्त शुल्क से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

15. शेष बचे हुए एम.फिल. शिक्षार्थियों की बिना फोटो की उपाधि मुद्रित करने पर विचार

एम.फिल. के कतिपय छात्र/छात्राओं के फोटों की अनुपलब्धता के कारण उनकी डिग्री मुद्रित नहीं की जा सकी है अतः प्रस्तावित है कि जिन छात्र/छात्राओं (एम.फिल) के फोटों उपलब्ध नहीं हैं उनकी डिग्री बिना फोटो के ही मुद्रित करा दी जाय। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एम.फिल. के कतिपय छात्र/छात्राओं जिनकी फोटों उपलब्ध नहीं है उन शिक्षार्थियों द्वारा आवेदन दिए जाने पर उनसे फोटो, शपथ-पत्र एवं पहचान-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त कर उनकी डिग्री मुद्रित कर दी जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

16. सत्रांत परीक्षा के पूर्व, दौरान एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य हेतु अवकाश के दिनों में कार्यालय आदेश के क्रम में कार्यालय आने पर प्रतिकर लेने हेतु निर्धारित अवधि एक माह से बढ़ाकर तीन माह करने पर विचार

प्रायः परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत व परीक्षा उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलना पड़ता है परन्तु एक माह अन्दर प्रतिकर लेने की बाध्यता के कारण कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाते हैं अतः प्रतिकर लेने हेतु निर्धारित अवधि एक माह से बढ़ाकर तीन माह करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कमेटी का गठन किया जाए जिसमें कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा निदेशक हों तथा प्रकरण कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए एवं कार्यवृत्त आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

17. विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना

विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय की पुष्टि।

- (i) परीक्षा सत्र दिसम्बर-2016 में 20 परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित थे। (संलग्नक-04 पृष्ठ संख्या:33-35)
- (ii) परीक्षा सत्र दिसम्बर-2016 में 10 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई। (संलग्नक-05 पृष्ठ संख्या:36)

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर 2016 के यू0एफ0एम0 एवं संवीक्षा के निर्णय की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

18. विगत वर्षों के ऐसे शिक्षार्थी जिनकी अंकतालिका में परियोजना कार्य के अंक कतिपय कारणों से अंकित नहीं हैं एवं उनके अंकपत्र अपूर्ण हैं। इस प्रकार के शिक्षार्थी द्वारा बैंक प्रश्न पत्र शुल्क रू० 400 जमा करने की दशा में प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

19. परीक्षा दिसम्बर 2016 व जून-2017 के परीक्षकों की सूची के अनुमोदन से सम्बन्धित-

परीक्षा दिसम्बर 2016 व जून 2017 से सम्बन्धित परीक्षकों की सूची मा० कुलपति जी से अनुमोदित है। प्रश्नगत सूची समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने परीक्षा दिसम्बर 2016 व जून 2017 से सम्बन्धित परीक्षकों की सूची का अवलोकन किया एवं सहमति व्यक्त की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

20. परीक्षा सत्र जून 2017 की दिनांक 09.10.2017 को सम्पन्न यू.एफ.एम. समिति की बैठक का कार्यवृत्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत। (संलग्नक-06 पृष्ठ संख्या.....³⁷⁻³⁹)

परीक्षा समिति ने परीक्षा सत्र जून 2017 की दिनांक 09.10.2017 को सम्पन्न यू.एफ.एम. समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

21. कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2015 तक की लिखित उत्तर पुस्तिकाएँ कुलसचिव के निर्देशानुसार रददी में विक्रय कराने हेतु सम्बन्धित को हस्तगत करा दिया गया। परीक्षा समिति को अवगत कराने हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति उक्त से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 48.04

दिनांक 07-10-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 07-10-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 40-42 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 07-10-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार किया तथा संशोधित प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 48.05

निदेशक शैक्षिक संचार संकाय (Consortium For Educational Communication) के पत्र संख्या CEC/JD (HW)/MOOCs/2015/803746 दिनांक 02 सितम्बर, 2017 पर विचार

निदेशक शैक्षिक संचार संकाय (Consortium For Educational Communication) के पत्र संख्या CEC/JD (HW)/MOOCs/2015/803746 दिनांक 02 सितम्बर, 2017 संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 43)के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक संचार संकाय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों द्वारा अपने सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यवसायिक कार्यक्रमों में Massive Open Online Courses (MOOCs) एवं अन्य सुविधाओं को अपनाकर सफलतापूर्वक कार्यक्रम को सम्पादित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निदेशक शैक्षिक संचार संकाय (Consortium For Educational Communication) के पत्र संख्या CEC/JD (HW)/MOOCs/2015/803746 दिनांक 02 सितम्बर, 2017 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक संचार संकाय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों द्वारा अपने सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यवसायिक कार्यक्रमों में Massive Open Online Courses (MOOCs) एवं अन्य सुविधाओं को अपनाकर सफलतापूर्वक कार्यक्रम को सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परिनियम 8.01 के अन्तर्गत सम्मानार्थ उपाधि (Honoris Causa) प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली 2002 अध्याय 08 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को सम्मानार्थ उपाधि (Honoris Causa) परिनियम 8.01 में अधिकथित निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार प्रदान करने का अधिकार है।

- (1) डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट.) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।
- (2) डाक्टर आफ साइन्स (डी.एस.-सी.) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विज्ञान अथवा टेक्नालॉजी की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नालॉजी संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।
- (3) डाक्टर आफ लाज (एल.एल.डी.) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश अथवा विधिवेता, राजनयज्ञ हों अथवा जिन्होंने लोक कल्याण के लिये महत्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने डाक्टर आफ लाज (एल.एल.डी.) की मानद उपाधि (Honoris Causa) प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किये गये।

1. मा. न्यायमूर्ति श्री धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. मा. न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबा साहेब भोसले, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
3. पद्म भूषण प्रो. सुभाष सी. कश्यप. संविधान विशेषज्ञ, लोक सभा, 62, सैनिक फार्मस, नई दिल्ली-110062

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 24-08-2017 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	प्रो. सुधौंशु पाण्डेय, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

12.	डॉ. श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	डॉ. मुकेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
14.	श्री एस.पी. सिंह वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (2) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (4) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 04-07-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 04-07-2017 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या ----- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 04-07-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 04-07-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनांक 04-07-2017 लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
46.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 10-04-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 10-04-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.03	विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 31-05-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.04	विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 31-05-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.05	सत्र 2017-18 से सी.सी.वाई प्रमाण पत्र कार्यक्रम के प्रवेश शुल्क में वृद्धि किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने सत्र 2017-18 से सी.सी.वाई प्रमाण पत्र कार्यक्रम के प्रवेश शुल्क में वृद्धि किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./810/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित

46.06	विश्वविद्यालय में विगत वर्षों से संचालित शून्य से 10 संख्या वाले प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के SLM को ऑन लाइन किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने शून्य से 10 छात्र संख्या वाले प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के वर्तमान में उपलब्ध SLM के समाप्त होने के पश्चात् SLM को ऑन लाइन किए जाने तथा SLM का पुनः मुद्रण न कराये जाने का निर्णय लिया।	किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./818/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा प्रभारी, पाठ्य सामग्री अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जानी है।
46.07	विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रवेश विवरणिका को ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में दिनांक 15-06-2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रवेश विवरणिका को ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में दिनांक 15-06-2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./811/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.08	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों से प्रोजेक्ट कार्य को समाप्त करने पर विचार	विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड के प्रस्ताव के दृष्टिगत परियोजना कार्य को दूरस्थ शिक्षा पद्धति से नामांकित शिक्षार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत अनिवार्यता को (सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पी. जी. डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों से) प्रोजेक्ट कार्य को समाप्त करते हुए परियोजना कार्य के स्थान पर पाठ्यक्रम में	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./812/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा परीक्षा

		समान क्रेडिट के अन्य सैद्धांतिक प्रश्न पत्र को समाहित किए जाने का निर्णय लिया।	नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.09	विश्वविद्यालय के सत्रांत उत्तर पुस्तिकाएं/अधिन्यास पुस्तिकाएं/प्रोजेक्ट कार्य को नष्ट/बिक्री करने पर विचार	<p>विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं हेतु शिक्षार्थियों के लिए निर्गत दिशा निर्देश में -</p> <p>“सत्रांत परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिन के अन्दर परीक्षार्थी छुटे हुए अंकों को विश्वविद्यालय में सम्पर्क कर अंक पत्र में अंकित करा लें अन्यथा की स्थिति में परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिनों के पश्चात् सम्बन्धित की उत्तर पुस्तिकाएं/अधिन्यास पुस्तिकाएं/प्रोजेक्ट कार्य को नष्ट/बिक्री कर दिया जायेगा।”</p> <p>सत्रांत परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिन के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाएं/अधिन्यास पुस्तिकाएं/प्रोजेक्ट पुस्तिकाएं/प्रोजेक्ट कार्य को नष्ट/बिक्री किये जाने का निर्णय लिया।</p>	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./814/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
46.10	दिनांक 03-07-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 03-07-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./815/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

46.11	दिनांक 22-06-2017, 29-06-2017 एवं 03-07-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 22-06-2017, 29-06-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं 03-07-2017 के बिन्दु 01 को यथावत व बिन्दु संख्या 02 से एम.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोजेक्ट को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि स्नातक स्तर के कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अनुमति के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जाय।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./813/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
46.12	दिनांक 09-06-2017 एवं 30-06-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 09-06-2017 एवं 30-06-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./816/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
46.13	दिनांक 01-07-2017 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 01-07-2017 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./817/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

46.14	दिनांक 29-06-2017 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 29-06-2017 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को कतिपय संशोधन (एम.ए. शिक्षा शास्त्र कार्यक्रम से परियोजना कार्य को अन्य विद्या शाखाओं के समान शिक्षार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समाप्त किये जाय) के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./819/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
46.15	दिनांक 03-07-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 03-07-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./820/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
46.16	दिनांक 03-07-2017 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 03-07-2017 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं मेडिकल टेक्नीशियन एवं फार्मसी सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व इन कार्यक्रमों के संचालन की मान्यता देने वाले नियामक संस्थान से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2017 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./821/2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.03

सत्र 2017-18 से प्रारम्भ होने वाले 27 नवीन कार्यक्रमों को अध्ययन केन्द्रों को आवंटित करने हेतु दिशा-निर्देश/शर्तों के निर्माण हेतु दिनांक 24-07-2017 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

सत्र 2017-18 से प्रारम्भ होने वाले 27 नवीन कार्यक्रमों को अध्ययन केन्द्रों को आवंटित करने हेतु दिशा-निर्देश/शर्तों के निर्माण हेतु दिनांक 24-07-2017 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने सत्र 2017-18 से प्रारम्भ होने वाले 27 नवीन कार्यक्रमों को अध्ययन केन्द्रों को आवंटित करने हेतु दिशा-निर्देश/शर्तों के निर्माण हेतु दिनांक 24-07-2017 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.04

दिनांक 19-08-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 19-08-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 19-08-2017 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.05

दिनांक 05-08-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 05-08-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 05-08-2017 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.06

दिनांक 18-08-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 18-08-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 18-08-2017 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.07

दिनांक 22-08-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 22-08-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 22-08-2017 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.08

पं० दीन दयाल उपाध्याय शोध केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार

पंडित दीन दयाल उपाध्याय रिसर्च सेण्टर ऑन डिस्टेन्स एजुकेशन एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय

पीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 91, 13 में निम्नलिखित निर्णय लिया :-

कार्य परिषद् ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय रिसर्च सेण्टर ऑन डिस्टेन्स एजुकेशन एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय पीठ स्थापित किये जाने एवं शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया। इस कार्य हेतु प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा एवं पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा डॉ. एस.पी. गुप्ता को इस आशय का प्रस्ताव बनाये जाने हेतु अधिकृत किया।

उक्त निर्णय के अनुपालन में पं० दीन दयाल उपाध्याय शोध केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव संलग्नक ७ पृष्ठ संख्या: ७ पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने पं० दीन दयाल उपाध्याय शोध केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.09

विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार

जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग एवं प्राकृतिक रूप से अति सुन्दर राज्य है। दुर्भाग्य से विगत कई वर्षों से राज्य में हिंसा एवं अशांति व्याप्त है और वहाँ की समस्या केवल स्थानीय न हो करके सम्पूर्ण राष्ट्र के जनमानस को व्यथित कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारे में कई देशद्रोही संगठनों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जिसका गलत संदेश जा रहा है। इन तमाम विसंगतियों को दूर करने हेतु एवं जम्मू कश्मीर में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र स्थापित करना अति आवश्यक है। यह अध्ययन केन्द्र जम्मू कश्मीर राज्य की विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन करेगी एवं उनके समाधान तथा राज्य के विकास के बारे में सरकार को सुझाव प्रेषित करेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 47.10

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली 23 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है, पर विचार

विश्वविद्यालय में विगत वर्षों से संचालित शून्य से 10 संख्या वाले प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के SLM को ऑन लाइन किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-07-2017 के संकल्प संख्या में निम्नलिखित निर्णय लिया :-

विद्या परिषद् ने शून्य से 10 छात्र संख्या वाले प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के वर्तमान में उपलब्ध SLM के समाप्त होने के पश्चात् SLM को ऑन लाइन किए जाने तथा SLM का पुनः मुद्रण न कराये जाने का निर्णय लिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 23 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के भाग-IV के बिन्दु 15 (6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि

“मुद्रित रूप में स्व-ज्ञान अर्जन सामग्री को शिक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जायेगा और साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थान ऑन लाइन पद्धति से कॉम्पैक्ट डिस्क आदि माध्यमों से अतिरिक्त शिक्षण संसाधन प्रदान कर सकते हैं।”

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 23 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के भाग-IV के बिन्दु 15 (6) में दी गयी व्यवस्था को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।



प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

स.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या: 21/2017/1246/2/017

दिनांक: 17/06/2017

अतिमहत्वपूर्ण

विषय:- निरस्त किये गये परीक्षा केन्द्रों के सापेक्ष बनाये गये नये परीक्षा केन्द्र विषयक:

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे लिखे केन्द्रों क्रमशः S-230, S-114 एवं S-219 (खण्ड-अ) पर 17 जून, 2017 तक परीक्षाएँ यथावत सम्पादित कराई जायेंगी और 19 जून, 2017 से उनके सम्मुख नये बनाये गए केन्द्रों क्रमशः S-627, S-833 एवं S-745 (खण्ड-ब) पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षाएँ सम्पन्न होंगी -

खण्ड - अ			खण्ड - ब	
क्र.स.	17 जून, 2017 के पश्चात् निरस्त किए जा रहे परीक्षा केन्द्र		19 जून, 2017 से बनाये गए नये परीक्षा केन्द्र	
1.	S-230	श्री छत्रधारी महाविद्यालय, चन्दौली	S-627	श्री दुर्गा संस्कृत महाविद्यालय, छत्रपुरा, सैयदराजा, चन्दौली
2.	S-114	कृष्ण सुदामा पीजी कालेज, सादात, गाजीपुर	S-833	बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, मलोरा, मिर्जापुर, गाजीपुर
3.	S-219	महात्मा बुद्ध महाविद्यालय, अञ्जुवा, कौशाम्बी	S-745	भगवती प्रसाद दौलत राम महाविद्यालय, सिराथू, कौशाम्बी

(डॉ० जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

परीक्षा विभाग, उ०प्र० विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सन्निधुरम् (सेक्टर-एफ), काफायत, इलाहाबाद-211021

डॉ. जी.के. द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक. ओ.यू./परीक्षा/1889/2017

दिनांक: 30/08/2017

सेवा में,

प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष/समन्वयक,

डा.डा. बनवारी लाल बाल गोपाल महाविद्यालय
मल्लौरा, गाजीपुर।विषय : सत्रांत परीक्षा जून 2017 के प-07 अद्यतन उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूच्य है कि जून 2017 की परीक्षा समाप्त हुए लगभग 1 माह 15 दिन बीत चुके हैं, परन्तु आपके परीक्षा केन्द्र से अभी तक परीक्षार्थियों के तिथिवार एवं पालीवार प-7 (उपस्थिति पत्रक) प्रेषित नहीं किया गया है, जो परीक्षा की गोपनीयता एवं सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। आपके द्वारा समय से प-7 प्रेषित न करना परीक्षा के कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता को प्रदर्शित करता है और आपकी सम्पूर्ण कार्य प्रणाली संदेहास्पद प्रतीत होती है। ऐसी परिस्थिति में क्यों न आपके केन्द्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रशासन को संस्तुत कर दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि एक तिथि को सम्पन्न हुई परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को एक से अधिक पैकेट (अलग-अलग) में अनेक बार पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये हैं, जो ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में आप अपनी स्पष्ट आख्या तीन दिन के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये, कि ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया है। उचित आख्या न प्राप्त होने की दशा में आपके अध्ययन केन्द्र को निरस्त करने की संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को कर दी जायेगी।

भवदीय

डॉ. (जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. कुलसचिव, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

हस्त गृह प्राप्त किया

हस्त कुमार मल्लौरा समन्वयक

डा. बनवारी लाल बाल गोपाल महाविद्यालय



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"

फाफागऊ, इलाहाबाद-211021

0532-2447123

पत्रांक: ओ०यू०/परीक्षा/3043/2017

दिनांक 26/09/2017

सेवा में,

केन्द्राध्यक्ष

रामस्त परीक्षा
जून-17

विषय:- उपस्थिति प्रपत्र (प-7) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

परीक्षा जून 2017 के सापेक्ष परीक्षार्थियों के उपस्थिति प्रपत्र (प-7) को तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यदि परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार की विसंगति आती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्ष की होगी। जो केन्द्र उक्त प्रपत्र को पूर्व में प्रेषित कर चुके हैं कृपया वे इस पत्र को संज्ञान में न लें।

डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

पृ. संख्या : ओ.यू./ (1)/2017

तददिनोंक

1. कुलसचिव जी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाइल

डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

O/c
22/09/17

M. S. Singh
28/09/17

Sl. No.	Code	Name of the Institution
1	S001	...
2	S002	...
3	S003	...
4	S004	...
5	S005	...
6	S006	...
7	S007	...
8	S008	...
9	S009	...
10	S010	...
11	S011	...
12	S012	...
13	S013	...
14	S014	...
15	S015	...
16	S016	...
17	S017	...
18	S018	...
19	S019	...
20	S020	...
21	S021	...
22	S022	...
23	S023	...
24	S024	...
25	S025	...
26	S026	...
27	S027	...
28	S028	...
29	S029	...
30	S030	...
31	S031	...
32	S032	...
33	S033	...
34	S034	...
35	S035	...
36	S036	...
37	S037	...
38	S038	...
39	S039	...
40	S040	...
41	S041	...
42	S042	...
43	S043	...
44	S044	...
45	S045	...
46	S046	...
47	S047	...
48	S048	...
49	S049	...
50	S050	...
51	S051	...
52	S052	...
53	S053	...
54	S054	...
55	S055	...
56	S056	...
57	S057	...
58	S058	...
59	S059	...
60	S060	...
61	S061	...
62	S062	...
63	S063	...
64	S064	...

65	S072	ATTARA DEGREE COLLEGE- BANDA- BANDA
66	S075	DEENANATH PANDEY RAJKIYA MAHILA P. G. COLLEGE- DEORIA
67	S079	RAJKIYA P. G. COLLEGE- HAMIRPUR- HAMIRPUR
68	S094	B. B. S. PUBLIC DEGREE COLLEGE- PRATAPGARH- PRATAPGARH
69	S1029	S.K.B.M. DEGREE COLLEGE- GAZIPUR- GAZIPUR
70	S1044	MAHARSHI SHUKDEV SWAMI KALYAN DEV DEGREE COLL- MUZAFFARNAGAR
71	S105	GANDHI SHANTI NIKETAN DEGREE COLLEGE- Allahab- Allahabad
72	S1056	MUSAFIR BALGOPAL MAHAVIDYALAYA- SONBHADRA- SONBHADRA
73	S106	MOTI LAL NEHRU DEGREE COLLEGE- Allahabad- Allahabad
74	S1066	AR MAHILA MAHAVIDYALAYA- BASNEHTA PHOOLPUR- PRATAPUR MARG ALLAHABA
75	S1077	RAMA JAIN KANYA MAHAVIDYALAYA- BIJNOR- BIJNOR
76	S108	KHEDU SINGH ADRASH COLLEGE- GAZIPUR- GAZIPUR
77	S110	LORD BUDDHA P. G. COLLEGE - BAHRACH - BAHRACH
78	S114	KRISHNA SUDAMA MAHAVIDYALAYA- GAZIPUR- GAZIPUR
79	S187	RAM UGAN MAHAVIDYALAYA- MAU- MAU
80	S198	JHAAM BABA MAHAVIDYALAYA- AMBEDKAR NAGAR- AMBEDKAR NAGAR
81	S200	SRI BABA SADHAV RAM MAHAVIDYALAYA- AZAMGARH- AZAMGARH
82	S208	SNATAKOTTAR MAHAVIDYALAYA- PRATAPGARH- PRATAPGARH
83	S211	SUKDEV PRASAD TRIPATHI MAHAVIDYALAYA- KUSHINA- KUSHINAGAR
84	S212	RAJKISHORE SINGH MAHAVIDYALAYA- GAZIPUR- GAZIPUR
85	S213	JAI BAJRANG MAHILA MAHAVIDYALAYA- JAUNPUR- JAUNPUR
86	S214	RAM NAGINA KISAN SNATAKOTTAR MAHAVIDYALAYA- G- GAZIPUR
87	S216	DR. RAJENDRA PRASAD MEMORIAL GIRLS DEGREE COL- LUCKNOW
88	S223	RAM SWAROOP GRAMODHYOG SNATAKOTTAR MAHAVIDYALAYA- KANPUR
89	S228	FAIZ-E-AAM MODERN DEGREE COLLEGE- MATHURA- MATHURA
90	S229	GRAMODAYA ASHRAM SNATAKOTTAR MAHAVIDYALAYA- AM- AMBEDKAR NAGAR
91	S263	SRI MAHAVEER PRASAD MAHILA MAHAVIDYALAYA- LUC- LUCKNOW
92	S267	SARDAR PATEL SMARAK MAHAVIDYALAYA- AMBEDKAR N- AMBEDKAR NAGAR
93	S281	RAMPAL MAURYA MAHAVIDYALAYA- FATEHPUR- FATEHPUR
94	S296	MRITUNJAI PANDEY SANSKRIT MAHAVIDYALAYA- CHAND- CHANDAULI
95	S302	JOKHANPUR MAHAVIDYALAYA- GAZIPUR- GAZIPUR
96	S310	RAMDHAN DAMODAR MAHAVIDYALAYA- MAU- MAU
97	S348	RISHI RAM NARESH KRISHAK MAHAVIDYALAYA- MAU- MAU

62	5397	BABU LAL GUPTA MAHAVIDYALAYA - ALLAHABAD - ALLAHABAD
63	5398	BABU RAM KUMAR MAHAVIDYALAYA - ALLAHABAD - ALLAHABAD
64	5399	BABU RAM KUMAR MAHAVIDYALAYA - ALLAHABAD - ALLAHABAD
65	5357	BEYAG MAHAVIDYALAYA - Allahabad - Allahabad
66	5404	DR. RAM MANOHAR LOHIA MAHAVIDYALAYA - DEORIA - DEORIA
67	5408	NANDAN MAHAVIDYALAYA - PRATAPGARH - PRATAPGARH
68	5442	FIROZ GANDHI COLLEGE - RAEBARELI - RAEBARELI
69	5446	SHRI GHANSHYAM DUBEY MAHAVIDYALAYA - SANTI KAVI - SANTI RAMI DAS, MAGAR
70	5450	SHRI RATI RAM MAHAVIDYALAYA - MATHURA - MATHURA
71	5459	AMAR SAHEED THAKUR DARIYAV SINGH MAHAVIDYALAY - FATEHPUR
72	5539	PURVANCHAL P. G. COLLEGE - AZAMGARH - AZAMGARH
73	5538	NEHRU MAHAVIDYALAYA - LALITPUR - LALITPUR
74	5551	KISAN MAZDOOR MAHAVIDYALAYA - MAU - MAU
75	5580	MAA SHUKALI DEVI DEGREE COLLEGE - DEORIA - DEORIA
76	5589	R. S. M. P. DEGREE COLLEGE - PRATAPGARH - PRATAPGARH
77	5627	SRI DURGA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA - CHANDAULI - CHANDAULI
78	5633	SARSWATI COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES - GHA - GHAZIABAD
79	5649	MAA PHOOLA DEVI KANYA MAHAVIDYALAYA - BALLIA - BALLIA
80	5655	KABUTARI DEVI RAJESHWAR TRIPATHI SMARAK P. G. - GORAKHPUR
81	5698	SRI JAGDAMBA MAHILA MAHAVIDYALAYA - FATEHPUR - FATEHPUR
82	5731	SHRI KRISHAN P.G. COLLEGE - AZAMGARH - AZAMGARH
83	5745	BHAGWATI PRASAD DAULATRAM MAHAVIDYALAYA - KAUS - KAUSHAMBI
84	5757	BHAGWANDEEN SINGH PATEL MAHAVIDYALAYA - CHITRA - CHITRAKOOT
85	5769	SUBHASH CHANDRA BOSE SNATKOTTAR MAHAVIDYALAYA - HARDOI
86	5806	GURU PHOOL CHANDRA P.G. COLLEGE - GAZIPUR - GAZIPUR
87	5810	DIXIT COLLEGE OF HIGHER EDUCATION - RAMPUR - RAMPUR
88	5819	DR. RAM NARESH MAHAVIDYALAYA - AZAMGARH - AZAMGARH
89	5833	BABA BANVARI LALGOPAL MAHAVIDYALAYA - GAZIPUR - GAZIPUR
90	5843	KUMAR PARMARTH BABA GOVIND MAHAVIDYALAYA - MAU - MAU
91	5851	SRI RAMASANKAR BALGOPAL MAHAVIDYALAYA - GAZIPUR - GAZIPUR
92	5899	BRAMHDEV MAHAVIDYALAYA - Allahabad - Allahabad
93	5902	BABA GAJJANDAS BALIKA MAHAVIDYALAYA - GAZIPUR - GAZIPUR

98. 5220
99. 5114
100. 5219



डॉ. जी.के. द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक ओयू/परीक्षा/3778/2017

उ०प्र० राजर्षि ट्यूटून मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर

शांतिपुरम् (सेक्टर एक), फाजलपुर,

इलाहाबाद-211021

फोन नं- 0532 2647170

दिनांक: 07/10/2017

सेवा में,


प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष,
गुरु फूलचन्द पी०जी० कालेज,
दौलतपुर, गाजीपुर-233304

विषय :- परीक्षा-जून 2017 से सम्बन्धित प्रपत्र प-7 (उपस्थिति पत्रक) उपलब्ध कराने के संदर्भ में।

महोदय,

विश्वविद्यालय की परीक्षा जून 2017 से सम्बन्धित प्रपत्र प-7 आपके केन्द्र द्वारा अभी तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में परीक्षा विभाग के कर्मचारियों तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका है। प-7 परीक्षार्थियों की उपस्थिति से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण गोपनीय अभिलेख होता है। इस अभिलेख को अभी तक विश्वविद्यालय को न उपलब्ध कराया जाना कई प्रकार के संदेह को उत्पन्न करता है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि पत्र प्राप्ति के दिन ही विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर उक्त प्रपत्र को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में आपके केन्द्र से सम्बन्धित सभी परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित नहीं किये जायेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय



(डॉ. जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक ओयू/ /2017

तददिनांक

प्रतिलिपि :

1. प्रबन्धक, गुरु फूलचन्द पी०जी० कालेज, दौलतपुर, गाजीपुर।
2. समन्वयक, (उ०प्र०रा०ट०मुक्त वि०वि०, इलाहाबाद) गुरु फूलचन्द पी०जी० कालेज, दौलतपुर, गाजीपुर।
3. कुलसचिव, उ०प्र०रा०ट०मुक्त वि०वि०, इलाहाबाद।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।


(डॉ. जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक





उ.प्र. राजा जेठम लाल विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्यालय, पालीगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

परीक्षा नियंत्रक

फर्रुखगढ़, इलाहाबाद

0532-2647958

दिनांक: 06.05.17

यू.एफ.एम. समिति की बैठक

दिनांक 06.05.17 को यू.एफ.एम. समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए-

1. प्रो० एच० के० शर्मा, राजनीतिशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डॉ० ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. प्रो० पी० के० पाण्डेय, प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. डॉ० आर० पी० एस० यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. डॉ० श्रुति, असि० प्रोफेसर, सांख्यिकी, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6. सुश्री मारिषा, विशेष कार्याधिकारी, परीक्षा, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
7. डॉ० उपेन्द्र नाथ तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, परीक्षा, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
8. डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

बैठक में सदस्यों ने परीक्षा सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय 6 छात्र अनुशासन धारा 5(xx) के अधीन ख (10) के आधार निम्न आधारों की अनुसंशा की-

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर,	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4.	परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (द) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
5.	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरहित कर दिया जाय।

सदस्यों द्वारा गत वर्ष की यू.एफ.एम. समिति की बैठक में निर्णय के आधार का अवलोकन किया। इस वर्ष के लिए इन्हीं आधारों को स्वीकार किया गया। सत्र परीक्षा दिसम्बर 2016 में कुल 20 छात्र अनुचित

साधन प्रयोग करने पर परीक्षा की जा सकती है। इस संबंध में उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए परीक्षा के लिए उचित साधन उपलब्ध न होने के कारण परीक्षा स्थगित की जा सकती है। इस संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

समिति के समक्ष अनुचित साधन प्रयोग करने वाले प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण, विशेषज्ञ की रिपोर्ट एवं छात्र की उत्तर पुस्तिका (सम्बन्धित दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये-

क्रम संख्या	नाम व पता	नामांकन संख्या	प्रश्न-पत्र	समिति का निर्णय
1.	अन्तिमा श्रीवास्तव C/o श्री शशाकान्त श्रीवास्तव ग्राम-सरौंव, पो-रहुँआ जिला-बलिया, 277001	316881010009	UGED-04	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
2.	पुष्पा देवी C/o हरिशंकर प्रसाद ग्राम व पो-करनई जिला-बलिया	4109210105979	UGED-04	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	राहुल कुमार गुप्ता C/o ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम व पो- सहतवार पुरानी बाजार, पूर्वी कुनवा, सेक्टर-1 जिला बलिया, 277211	220041010027	CHEQ	सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरहित कर दिया जाय।
4.	गौरव कुमार सिंह C/o रविन्द्र कुमार सिंह ग्राम-बुडापुर, पो-राजातालाब जिला-वाराणसी, 221311	4215810500475	BCA-04	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
5.	भारती मोदी C/o गिरीश कुमार जैन प्लॉट सं०-110, द्वितीय तल सागर प्रिमियम टावर-2 कुलर रोड भोपाल, मध्य प्रदेश-462042	61041201000633	MAED-02 (O/N)	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
6.	मो० दानिश C/o शहाबुद्दीन ग्राम-मालिया, मकदूमपुर, पो-बाबागाँव, जिला-आजमगढ़ पिन-223227	61200101001235	UGED-01	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
7.	हेमन्त कुमार सिंह C/o श्री अशोक कुमार सिंह ग्राम व पो-जलालपुर माफी चुनार जिला-मीरजापुर, 231304	5100510100650	UGPS-03	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
8.	हिमाशुं कुमार C/o श्री विजय कुमार ग्राम व पो-जलालपुर माफी चुनार जिला-मीरजापुर, 231304	5100510100652	UGPS-03	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।

10.	दिनेश यादव C/o श्री रामचन्द्र यादव ग्राम-कन्धेरी, पो-डुमरौंव, जिला-मऊ	4105410605812	UGHY-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
11.	विवेक कुमार राय C/o श्री श्यामकेश राय ग्राम-परमानन्दपट्टी, पो-थलर्जपुर, जिला-मऊ	4105410605814	UGHY-07	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
12.	महेश कुमार यादव C/o अनिता चौधरी एस-378, स्कूल ब्लॉक शकरपुर नई दिल्ली, पिन-110092	5100521400780	MCOM-10	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
13.	अजय कुमार यादव C/o श्री बरमेश्वर यादव 378/06, त्रिवेणी विहार नियर अब्दुल हमीद गेट, ओल्ड कैन्ट, जिला-इलाहाबाद	4100510300408	AOCHE	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
14.	साद शफीक C/o शफीकुर रहमान मटवाना कोट, मऊआइमा जिला-इलाहाबाद, 212507	52005101000214	UGUR-05	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
15.	दिनेश कुमार ठाकुर C/o अनिल ठाकुर ग्राम-पो-सहतवार जिला-बलिया, 277211	3209220110814	MAEC-04	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
16.	पुष्पराज C/o राम किशुन ग्राम-मवैया, जिगना जिला-पीरजापुर	52952002016561	B.Ed.SE-02	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
17.	नम्रता कुशवाहा C/o सरल कुशवाहा 112/73 छोटा बघाडा प्रयाग जिला-इलाहाबाद	3208722324018	PGSTAT-05	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
18.	विजय कुमार बिन्द C/o रामलाल बिन्द ग्राम व पो-गड़ौली, थाना-कछवाँ जिला-मीरजापुर	4208722317355	PGBCH-07	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
19.	संदीप तिवारी C/o राम सहाय तिवारी ग्राम-सरसवाँ, पो-बैतीकला जिला-फैजाबाद, 224209	5112020102020	MASY-09	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
20.	प्रमोद कुमार C/o हरिराम तिवारी राजकीय जिला पुस्तकालय प्रतापगढ़, 230001	52094202005850	BLIS-04(N)	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।

परीक्षा दिनांक 2016 के सापेक्ष की गई सवीक्षा का परिणाम निम्नवत् है

क्र.सं.	परीक्षार्थी का नाम	नामांकन संख्या	प्रश्न पत्र	सवीक्षा पूर्व के अंक	सवीक्षोपरान्त निर्णय
1.	रमेश कुमार	220042010044	MAH-07	20/70	कोई परिवर्तन नहीं
2.	श्वेता यादव	4118910105005	UGPS-01	17/70	कोई परिवर्तन नहीं
3.	लक्ष्मी देवी	213091010016	UGPS-04	24/70	25/70
4.	मनोज सिंह	3200510119235	UGMM-05	42/70	कोई परिवर्तन नहीं
5.	गगन राय	310051010056	UGEC-01	17/70	कोई परिवर्तन नहीं
6.	चन्द्रकला पटेल	61037202001774	BLISS-04	29/70	कोई परिवर्तन नहीं
7.	अमित कुमार	61037202001710	BLISS-04	28/70	कोई परिवर्तन नहीं
8.	विकास कुमार पाण्डेय	3200510120346	UGMM-01	08/70	कोई परिवर्तन नहीं
			UGMM-06	00/70	कोई परिवर्तन नहीं
9.	देवेश कुमार चौधरी	62158501000112	PGDCA-1.5	24/70	कोई परिवर्तन नहीं
10.	दिनेश कुमार यादव	61403501001461	PGDCA-2.1	24/70	कोई परिवर्तन नहीं

उपरोक्त से अवगत होते हुए परीणाम घोषित करना चाहे।

Signature
24/11/17
Dr.
24/11/17

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ओ यू / परीक्षा गोपनीय / मेषों / 2017

दिनांक 06.10.2017

यू.एफ.एम. समिति की बैठक

दिनांक 09.10.2017 को यू.एफ.एम. समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए --


1. प्रो. एच. के. शर्मा, राजनीतिशास्त्र विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन विद्याशाखा, उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, इलाहाबाद।
3. प्रो. पी. के. पाण्डेय, निदेशक, शिक्षाविद्याशाखा, उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, इलाहाबाद।
4. डॉ. श्रुति, असि० प्रोफेसर, विज्ञान विद्याशाखा, उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, इलाहाबाद।
5. डॉ. यू. एन. तिवारी, ओ.एस.डी. परीक्षा, उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, इलाहाबाद।
6. डॉ. अलका वर्मा, शैक्षणिक परामर्शदाता, उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, इलाहाबाद।
7. डॉ. जी. के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, इलाहाबाद।

बैठक में सदस्यों ने परीक्षा सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय 6 छात्र अनुशासन धारा 5(XX) के अधीन ख (10) के आधार निम्न आधारों की अनुसंशा की-

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्नपत्र निरस्त।
3	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4	परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (द) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबन्धित।
5	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरहित कर दिया जाय।

कार्यवृत्त

सदस्यों द्वारा गत वर्ष की यू.एफ.एम. समिति की बैठक में निर्णय के आधार का अवलोकन किया। इस वर्ष के लिए इन्ही आधारों को स्वीकार किया गया। परीक्षा सत्र जून 2017 में कुल 33 छात्र अनुचित



 09/10/17
 09/10/17
 09/10/17
 37

सामान प्रयोग करते हुए फकटें गये सभी फकटें नये छात्रों को इस समय में उनका पक्ष सुनने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया गया तथा विशेषज्ञों द्वारा तत्सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

समिति के सगक्ष अनुचित साधन प्रयोग करने वाले ऐसे छात्र जिनके द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया है अथवा जिनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है उसको विशेषज्ञ की रिपोर्ट एवं छात्र की उत्तर पुस्तिका के साथ (सम्बन्धित दसवेजों सहित) प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये-






SN	Name & Address	Enroll. No.	Paper	Decision
1	Manjit Singh S/O Sri Ram Nagina Singh	22041010098	UGHI-02	(स)
2	Abha Borkar D/O Sri Janardan Borkar	4208320116438	MAHI-09	(स)
3	Pramila Yadav D/O Sri Anant Yadav	62004201001259	MAHY-02	(स)
4	Suryanath Kumar S/O Sri Jeevdhan Ram	4221410105876	UGHI-03	(ब)
5	Suman Yadav	62200104018065	UGFODL	(द)
6	Rekha Devi D/O Sri Munesh	52101010113519	UGFHD	(स)
7	Mohd Yaqub Khan S/O Sri Mohd Soyeb Ahmad Khan	62006104005665	UGMM-01	(स)
8	Vinod Kumar Yadav S/O Sri Sadanand Yadav	4263110106251	UGHI-03	(ब)
9	Munna Lal S/O Sri Ram Gajan	62005201009888	MAEN-03	(ब)
10	Sachin Pandey S/O Sri Ram Murat Pandey	52005201009943	MAEC-07	(स)
11	Om Shekhar S/O Sri Vijay Singh	62005205007289	MAPH-01	(ब)
12	Pushpa Kumari D/O Sri Nawal Kishor Pandey	62037201003624	MAED-06	(अ)
13	Shatrughan Sin S/O Sri Vishwanath Singh	62092201009910	MAHI-03	(ब)
14	Anurag Tripathi S/O Sri Ram Chandra Tripathi	62101020111640	MAHI-05	(अ)
15	Arti Yadav D/O Sri Raj Kumar Yadav	52005201012230	MAHY-04	(स)
16	Manoj Kumar Rav S/O Sri Ram Adhar Prasad	52051201016701	MAEC-07	(स)
17	Vinod Verma S/O Sri Gopal Verma	52200104002008	UGFHD	(ब)
18	Km Arti Devi D/O Sri Gopinath Dwivedi	52101010113521	UGFHD	(ब)

3/11/17

3/11/17 B. A.







38

19	Pawan Kumar S/O Sri Bechan Ram	4200520111169	MAEN-07	(ब)
20	Km Poonam Bharti D/O Sri Ramashray Ram	62374101007358	UGHY-01	(स)
21	Devesh Verma S/O Sri Hariram Verma	52200101001771	UGFHD	(ब)
22	Pramila Yadav D/O Sri Anant Yadav	62004201001259	MAHY-01	(स)
23	Pradeep Kumar S/O Sri Lal Ji Prasad Boudh	52802201005148	MAPS-08	(ब)
24	Sarvesh Kumar S/O Sri Jheenak Ram	62200104017948	UGFODL	(द)
25	Araju Bano D/O Sri Md Hakim	4228510124725	UGSY-04	(ब)
26	Km Sangeeta Patel S/O Ram Nihore Patel	52051101014811	UGST-02	(स)
27	Kanchan D/O Surendra Bahadur	62051223013217	PGBCH-04	(ब)
28	Sunil Kumar S/O Sri Rakesh Prashad	62087223007919	PGBCH-04	(स)
29	Anand Tripathi S/O Sri Sudhir Kumar Tripathi	62005202002871	BLIS-06	(स)
30	Monika Singh D/O Sri Parimal Singh	62087223005977	PGBCH-04	(स)
31	Rachna Devi Yadav D/O Sri Jaiprakash Yadav	62051223013226	PGBCH-04	(स)
32	Sunish Singh Patel S/O Sri Suresh Singh	62005201003594	MAEC-01	(स)
33	Deeksha Omar D/O Sri Suresh Chandra	61223205002012	PGDJMC-03 /MJ-03	(स)


 9/10/17
 09.10.17
 09/10/17



कार्यवृत्त


आज दिनांक दिनांक 07/10/2017 को पूर्वाह्न 12.00 बजे प्रगारी, समाज विज्ञान विद्याशाखा की अध्यक्षता में स्कूल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो० सुधांशु त्रिपाठी – प्रगारी – (अध्यक्ष)  07-10-17
2. डॉ. इति तिवारी – एसोसिएट प्रोफेसर –(सदस्य)  07-10-2017
3. डॉ. संतोषा कुमार – एसोसिएट प्रोफेसर –(सदस्य)  07-10-17
4. श्री सुनील कुमार – असिस्टेंट प्रोफेसर –(सदस्य)  07-10-17
5. डॉ. दीपशिखा श्रीवारस्तव – शैक्षणिक परामर्शदाता – विशेष आमंत्रित सदस्य  07-10-17
6. श्री रमेश चन्द्र यादव – शैक्षणिक परामर्शदाता – विशेष आमंत्रित सदस्य  07-10-17

समाज विज्ञान विद्याशाखा में प्रस्तावित कार्यक्रम MAGTS (गोंधी विचार एवं अध्ययन में परास्नातक) में परियोजना कार्य पाठ्यक्रम पूर्व में सम्मिलित था जिसमें नवीन प्रश्नपत्र MAGTS-10 को परियोजना कार्य के स्थान पर संशोधित पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे स्कूल बोर्ड ने सर्वसम्मति से संस्तुत किया। आहूत बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

 07/10/17  07-10-17

 07/10/17

 07-10-17

स्नातकोत्तर कार्यक्रम (वार्षिक आधार)

गांधी विचार एवं अध्ययन (एमएएजीसीटीएसए)

GANDHIAN THOUGHTS AND STUDIES (MAGTS)

कार्यक्रम कोड/Programme Code	: 201	कार्यक्रम अवधि (वर्षों में) Programme Duration (in yrs.)	: न्यूनतम Minimum	: 2	अधिकतम Maximum	: 4
कार्यक्रम माध्यम/Medium of Instruction	: हिन्दी/Hindi	कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष/Programme Fee Per Year	: 7100/-			
प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता/ Minimum Qualification for Admission	: स्नातक (तीन वर्षीय)/ Three years Bachelor Degree	अधिनास कार्य/Assignment Work	: आवश्यक/Essential			

Year/वर्ष	Paper No./पेपर नं०	Course Code/पाठ्यक्रम कोड	Title of Course/पाठ्यक्रम का शीर्षक	Credits/क्रेडिट	Compulsory /Elective अनिवार्य / वैकल्पिक	
Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम						
प्रथम वर्ष (1st Year)		MAGTS-01	गाँधी: एक व्यक्तित्व	8	अनिवार्य	
		MAGTS-02	गाँधी के सामाजिक – राजनैतिक विचार	8	अनिवार्य	
		MAGTS-03	गाँधी दर्शन और मूल्य	8	अनिवार्य	
		MAGTS-04	गाँधी के विविध आयाम, कला एवं साहित्य, इतिहास दृष्टि तथा स्वास्थ्य	8	वैकल्पिक	
		OR MAGTS-05	अथवा मानवीय सुरक्षा	or 8		
	Open Elective Course (Other Disciplines) अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम					
			MAPH-01	भारतीय दर्शन	8	वैकल्पिक
		OR MAPS-07	अथवा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन	or 8		
		OR MASW-01	अथवा समाज कार्य सिद्धांत एवं अभ्यास	or 8		
		OR MAED-05	अथवा शैक्षिक विचारक	or 8		
				40		
प्रथम वर्ष का कुल क्रेडिट						
Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम						
द्वितीय वर्ष		MAGTS-06	गाँधी के आर्थिक विचार	8	अनिवार्य	
		MAGTS-07	शांति एवं विवाद समाधान सत्याग्रह की प्रविधि	8	अनिवार्य	
		MAGTS-08	गाँधी 21वीं शताब्दी में	8	अनिवार्य	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम					
			MAGTS-09	गाँधी के पश्चात् अहिंसा आन्दोलन	8	वैकल्पिक
		OR MAGTS-10	अथवा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन	or 8		

Open Elective Course (Other Discipline)/ अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम

2702	वीथ्या लॉर सनाय	8	वैकल्पिक
OR	अथवा	or	
MAPH-05	समकालीन भारतीय दर्शन	8	
OR	अथवा	or	
MJ-08	हिन्दी पत्रकारिता	8	
OR	अथवा	or	
MAED-01	शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार	8	

Compulsory Foundation Course/ अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम

2702	PGFGS	गान्धी विचार एवं शान्ति अध्ययन	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
or	or	OR		
2703	PGFHR	मानवाधिकार एवं कर्तव्य		

द्वितीय वर्ष का

कुल क्रेडिट 40

सम्पूर्ण कार्यक्रम का

कुल क्रेडिट 80

SS
R



शैक्षिक संचार संकाय Consortium For Educational Communication

(An Inter University Centre established under section 12 ccc of UGC Act 1956)
IUAC(NSC) Campus, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110067
Phone: +91-11-64673905, 26897421, Fax: +91-11-26897416
E-mail : director.cec@nic.in, Wbsite : www.cec.nic.in

Prof. (Dr.) Rajbir Singh
Director

CEC/ JD (HW)/MOOCs/2015/803746

September 02, 2017

Dear, Prof. Dube,

Consortium for Educational Communication, an inter-university centre of UGC has the mandate of producing and disseminating multimedia educational content in the country. It is also one of the largest repository in the country for undergraduate multimedia educational content. CEC has also been intensely involved in various MHRD led initiatives of digitalization of Higher education in the country notably, E-content, MOOCs on SWAYAM and educational DTH channels on SWAYAM Prabha.

Further, as part of MHRD's initiative of providing quality higher education, Massive Open Online Courses (MOOCs) have been launched on indigenously developed online platform- SWAYAM. These courses have 4-quadrant structure and have components like educational videos, e-books, quizzes, MCQs and live interaction with the faculty offering MOOCs. These courses may be taken up by students as credit courses or non-credit along with traditional programmes and which may be selected by students as per semester system and upon successful completion of the MOOCs may earn credit for it. These MOOCs have been prepared and offered by some of the best faculty from the country. CEC has been appointed as National Coordinator (NC) for all such non-technical and undergraduate MOOCs.

In the month of August itself, CEC has also invited Expression of Interest from teachers interested in developing and offering MOOCs on SWAYAM platform. Regarding this, you are requested to make your teachers aware and motivate them for developing and offering such courses (Expression of Interest / Proposal and guidelines may be downloaded from our website- www.cec.nic.in).

I hope that your cooperation in this regard shall help us realise the dream of Digital India and benefit our students immensely by introducing them to future learning practices and new learning paradigms being ushered in by digital education.

With regards

Yours sincerely,

Prof. Rajbir Singh

Rajbir Singh

Prof. M.P. Dube
Vice-Chancellor,
U.P. Rajarshi Tandon Open University,
Shantipuram, Sector-F, Phaphamau,
Allahabad - 211 001
Uttar Pradesh

कुल...
5/13/17

